

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड मीठासीन मुकाम हमीरगढ़
राजगोपाल गणक बनाम वैभवावली देवी
 किस्म मुकदमा इजराय नं. 19 सन् 17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

14.11.17

याचिका माधवराव द्वारा व्यापारिक
 के य.न. 33/16 निर्दिष्ट दिनांक 11.11.17
 दिवसी की पालना में इजराय पेश हुई।
 उक्त याचिका विलंबित रूप से इजरायिका
 की पालना हेतु हदारी जाकर हमीरगढ़ के सिविल
 जजो पञ्जावली दिनांक 20.12.17 को पेश हुई।

21.5.18

पञ्जावली पेश उन्मयपक्ष
 उपस्थित मीठासीन अधिकारी जी
 मुख्य न्यायाधीश प्र. 44/18 पञ्जावली
 दिनांक 21.5.18 को पेश हो।
 राज
 आदेश से रीडर

29.5.18

पञ्जावली कोर्ट के उपखण्ड स्वयं बाद
 पर परा दिवसी अनुसार ना.स 698
 से स्वातंत्र्य दिया गया है। उक्त
 कोर्ट के बाद अपासित नहीं होने
 से पञ्जावली कोर्ट को जामती है
 पञ्जावली पेशाला सुमा 10 कर
 नामक से काम है।

(Signature)
 मीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 हमीरगढ़